चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 03.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2013 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जयप्रकाश सिंह पुत्र नन्दकिशोर सिंह निवासी कालिन्दी पुरम राजरुप पुर जनपद प्रयागराज हाल पता अर्जुनपुर खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 1800 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). आज दिनाँक 03.08.2024 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य, पीआरओ श्री प्रवीण सिह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनाँक-03.08.2024 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी एसडीएम मऊ श्री पंकज वर्मा, तहसीलदार मानिकपुर श्री पंजक तिवारी, नाबय तहसीलदार मानिकपुर पारुल सिंह, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनांक 03.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की उपस्थिति में श्रावण अमावस्या मेला को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मेला डियूटी में लगे प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारीगण व मेला डियूटी में आए बाह्य जनपद एवं जनपद चित्रकूट के पुलिस बल अधि0/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान मेला डियूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अपने-अपने डियूटी पॉइन्ट पर समय से पहुंचेगें तथा सतर्क रहकर ड्यूटी चार्ट के मुताबिक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। डियूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं

से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा डियूटी के दौरान कोई भी समस्या होती है तो अपने लाइजनिंग अफसर को अवगत कराते हुये उच्चाधिकारियों को सूचना दें।

मेला डियूटी में जनपद चित्रकूट से 03 क्षेत्राधिकारी, 14 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी , 11 निरीक्षक, 45-उपनिरीक्षक, 165-आरक्षी/मुख्य आरक्षी, 45 महिला आरक्षी, 02 उपनिरीक्षण यातायात, 18 आरक्षी/मुख्य आरक्षी यातायात, 01 उपनिरीक्षक एलआईयू, 06-आरक्षी/मुख्य आरक्षी एलआईयू, 02-फायर टेण्डर, 02 डॉग स्क्वायड, तथा बाह्य जनपदों ने 50-उपनिरीक्षक, 140- आरक्षी/मुख्य आरक्षी, 10-मुख्य आरक्षी/आरक्षी यातायात, 02 प्लाटून पीएसी, 01 प्लाटून बाढ़ राहत, एसचेक टीम-01 को लगाया गया है।

ब्रीफिंग के दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरव यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनांक 03.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट शिवशरणप्पा जी.एन.एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम व अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की उपस्थिति में श्रावण अमावस्या मेला के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा मार्ग एवं मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक 03.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक एलआईयू श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में एस चेक टीम बांदा, डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट,परिक्रमा मार्ग आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2021 धारा 498ए,304(B) भादवि**0** व ¾ द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अजय कनौजिया पुत्र नन्हा कनौजिया निवासी रमयापुर थाना पहाड़ी जनपद जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा सहअभियुक्त नन्हा कनौजिया पुत्र झिलुवा व श्रीमती रनुइया कनौजिया पत्नी नन्हा कनौजिया निवासीगण उपरोक्त को 12-12 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.10.2021 को वादी श्री गुलाब पुत्र पियारे निवासी बरोली थाना पश्चिम शरीरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि उनकी पौत्री पूनम पुत्र रामू की शादी अजय उपरोक्त के साथ

की थी शादी के 02 वर्ष बाद से ही पति व उसके परिवारीजनों द्वारा मेरी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे जिससे आहत होकर मेरी पौत्री ने दिनाँक 20.10.2021 फांसी लगा ली है। घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 155/2021 धारा 498ए,304(B) भादवि**0** व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम पति अजय, ससुर नन्हा, सास रनुइया पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिवप्रकाश सोनकर द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 10.01.2022 को आरोपीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।